बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना (शुद्धि पत्र)

अधि0 संख्या–भवन/स्था0–01–विविध–936/2015– पटना, दिनांक–

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–3036/2012 एवं अन्य समविषयक वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.05.2015 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक–25.01.2016 को सम्पन्न त्रिसदस्यीय समिति की बैठक की कार्यवाही में निहित निर्णय तथा सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–10443 (भ), दिनांक–25.10.2016 के द्वारा श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवा निवृत्त) की औपबंधिक पारस्परिक वरीयता उनके सेवा आरंभ/पूर्व की नियुक्ति की तिथि–05.12.1984 के अनुसार क्रमांक–1 पर निर्धारित करते हुए दिनांक–20.11.2016 तक आपत्ति अभ्यावेदन आमंत्रित किया गया था।

2. इस संदर्भ में निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता (सम्प्रति सेवा निवृत्त) की अंतिम पारस्परिक वरीयता क्रमांक–1 पर निर्धारित की जाती है।

3. श्री सिंह की वरीयता के पुनर्निधारण के फलस्वरूप वरीयता सूची के क्रमांक–1 पर स्थित श्री प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता (नियुक्ति वर्ष, 1987) का पारस्परिक वरीयता क्रमांक–1A हो जाएगा।

4. सहायक अभियंता (असैनिक) की पूर्व प्रकाशित वरीयता सूची इस हद तक संशोधित समझा जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/कृषि विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग/प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद (विघटित), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 12133 (भ) पटना, दिनांक– 16.12.16

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/श्री नवल किशोर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता (सेवा निवृत्त), भवन प्रमंडल, बेतिया/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.16
सरकार के संयुक्त सचिव।
14.12.16